



90

निम्न उक्त

५ अक्टूबर 2017

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PBR/निगरानी/धार/श्र.21/2017/3499
निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से:-

श्रीमति गोपालकुंवर पति स्व. लोकेन्द्रसिंह सोनगरा
निवासी- ग्राम पिटगारा तह. बदनावर जिला धार
हा.मु. प्रताप नगर, चौपाटी बदनावर जि. धार..... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- पूनमचंद पिता छेदीलाल जायवाल मृत वारीसान
- 1- सोहनबाई पिता पूनमचंद जायसवाल- कड़ाई तह. उज्जैन
 - 2- बंशीलाल पिता पूनमचंद जायसवाल- चावण्डाखेड़ी तह. बदनावर
 - 3- प्रेमबाई पिता पूनमचंद जायसवाल- जाबड़ा तह. बदनावर
 - 4- विष्णुबाई पिता पूनमचंद जायवाल- चावण्डाखेड़ी तह. बदनावर
 - 5- ईन्नाबाई पिता पूनमचंद जायवाल- डिंगराई तह. धार
 - 6- शंकरलाल पिता पूनमचंद जायसवाल- चावण्डाखेड़ी तह. बदनावर
-विपक्षीगण

श्रीमति गोपालकुंवर
को केस नं. 3499
दिनांक 20.09.17

निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत



माननीय महोदय,

यह निगरानी अधीनस्थ विद्वान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय श्री राकेश सस्तिया तहसील बदनावर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 39/अ-06/10-11, नवीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 35/अ-06/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2017 से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष अंदर अवधि संविनय पेश है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/3499

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|---|
| 20-11-2018 | <p>आवेदक की ओर से श्री विजय इसासरे, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p></p> | <p> अध्यक्ष</p> |